FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत ...सहायक कलक्टर... मुकाम ...(SDO) बायतु...

...प्रेमाराम... बनाम ...उम्मेदाराम वगैरा...

किस्म मुकदमा ...रा० आवेदन 111,128 RLR... नं. ...166/2022... सन् ...2022...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...जगदीश गोदारा... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...18/05/2022... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सेढा मेड़ आये हुए है खेतों के मध्य	

[signature]
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जो पुरानी मेडे व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह से बिगड़ गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 18/5/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 685

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. पेमाराम पुत्र अचलाराम, जाति जाट, निवासी डूंगरानाडा, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिडा (बाडमेर)

1. उम्मेदाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 39, जाति जाट, निवासी डूंगरानाडा, पटवार मण्डल कुम्पलिया, तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 166 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा– डूंगरानाडा, पटवार मण्डल– कुम्पलिया, तहसील – गिडा, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 905 / 709 रकबा 11.0196 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 686–690
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र अचलाराम,
4. विप्रार्थी श्री उम्मेदाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 39,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु